

## ग्राहक जागरूकता

चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी" या "CIFCPL"), समय-समय पर संशोधित और/या RBI द्वारा आवश्यक/निर्देशित अनुसार नवंबर 12, 2021 ("RBI IRACP मानदंड स्पष्टीकरण") को अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर RBI के स्पष्टीकरण के अनुपालन में, सुविधा को अतिदेय, SMA/NPA के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित करेगा। ऐसे खातों का आगे उन्नतीकरण भी उपर्युक्त स्पष्टीकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

कंपनी द्वारा इस तरह के वर्गीकरण और उन्नतीकरण का तरीका निम्नलिखित है।

- अतिदेय की तारीख:

खाते को एक अतिदेय खाते के रूप में टैग किया जाएगा यदि दिन के अंत की प्रक्रिया के अनुसार (ऐसी प्रक्रिया को चलाने के समय के बावजूद) कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

अतिदेय की तारीख के लिए उदाहरण:

यदि किसी लोन खाते की अतिदेय की तारीख अप्रैल 30, 20\*\* है, और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तारीख अप्रैल 30, 20\*\* होगी।

- विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) वर्गीकरण:

कंपनी किसी खाते को SMA या NPA के रूप में चिह्नित करेगी यदि उसकी दिन के अंत की प्रक्रिया को चलाने के समय डिफॉल्ट (निर्धारित समय-सीमा के अनुसार) बना रहता है।

RBI IRACP मानदंड स्पष्टीकरण में प्रदान किए गए वर्गीकरण मानदंड निम्नानुसार हैं:

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य लोन	
SMA उप-श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूल या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

उदाहरण:

**SMA-1 वर्गीकरण:**

उपरोक्त उदाहरण की निरंतरता में, यदि खाता मई 30, 20\*\* दिन के अंत की प्रक्रिया के चलते अतिदेय रहता है तो इसे SMA-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

**SMA-2 वर्गीकरण:**

इसी तरह, यदि उपरोक्त खाता जून 29, 20\*\* दिन के अंत की प्रक्रिया के चलते अतिदेय रहता है तो इसे SMA-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

**NPA वर्गीकरण:**

उपरोक्त खाता यदि जुलाई 29, 20\*\* दिन के अंत की प्रक्रिया के दौरान अतिदेय रहता है तो इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

• **NPA के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नतीकरण**

एक बार खाते को NPA के रूप में वर्गीकृत करने के बाद, उस विशेष तिथि के दिन के अंत की प्रक्रिया को चलाने के समय उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूल की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने पर इसे केवल मानक परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।

पुनर्गठन के कारण NPA के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए निर्दिष्ट मौजूदा निर्देश लागू होते रहेंगे।

• **केस स्टडी:**

संख्या नं	तारीख	विवरण	टिप्पणियां
1.	जून 30, 20**	दिन के अंत की प्रक्रिया में समय पर भुगतान न करना।	अतिदेय की तारीख
2.	जुलाई 30, 20**	गैर-भुगतान दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने के समय मौजूद रहता है।	खाते को SMA-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
3.	अगस्त 29, 20**	गैर-भुगतान दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने के समय मौजूद रहता है।	खाते को SMA-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
4.	सितंबर 28, 20**	गैर-भुगतान दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने के समय मौजूद रहता है।	खाते को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

NPA के रूप में वर्गीकृत खाते को केवल मानक परिसंपत्ति में अपग्रेड किया जाएगा यदि उधारकर्ता से ब्याज और मूल की संपूर्ण बकाया राशि प्राप्त हो जाती है यानी, जब अतिदेय के बाद के दिन ('DPD') 0 हो जाते हैं।